# बिहार सरकार
## शिक्षा विभाग

## अधिसूचना

संख्याः 11 / नियमावली 01–02 / 2023 ...743 पटना, दिनांक 10/4/2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के "परन्तुक" के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवाशर्त्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** :–
   (क) यह नियमावली "बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023" कही जायेगी।
   (ख) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (ग) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ** :– इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ के विरूद्ध कोई बात न हो –

   (i) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार;

   (ii) **"प्रशासी विभाग"** से अभिप्रेत है, शिक्षा विभाग;

   (iii) **"विद्यालय"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित / नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित होंगे ;

   (iv) **"प्राथमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, वह विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है ;

   (v) **"मध्य विद्यालय"** से अभिप्रेत है, वह विद्यालय जहाँ कक्षा 01 से 8 अथवा कक्षा 06 से 08 तक की पढ़ाई होती है ;

   (vi) **"प्रारंभिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, वह विद्यालय जहाँ कक्षा 1 से 8 अथवा 06 से 08 अथवा 01 से 05 तक की पढ़ाई होती है ;

   (vii) **"माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय / राजकीयकृत / प्रोजेक्ट कन्या

उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा–10 तक की पढ़ाई होती है;

(viii) **"उच्च माध्यमिक विद्यालय"** से अभिप्रेत है, राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय/उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें कक्षा–12 तक की पढ़ाई होती है;

(ix) **"जिला परिषद्"** से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद् ;

(x) **"पंचायत समिति"** से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित पंचायत समिति ;

(xi) **"ग्राम पंचायत"** से अभिप्रेत है, बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत ;

(xii) **"नगर निकाय"** से अभिप्रेत है, शहरी क्षेत्र के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित स्वशासी संस्था–नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत ;

(xiii) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन जिला स्तर का विद्यालय अध्यापक का संवर्ग ;

(xiv) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी ;

(xv) **"अनुशासनिक प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो;

(xvi) **"अपीलीय प्राधिकार"** से अभिप्रेत है, संबंधित प्रमण्डल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ;

(xvii) **"विद्यालय अध्यापक" से अभिप्रेत है –**

(क) इस नियमावली के अधीन कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक ;

(ख) इस नियमावली के अधीन कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक ;

(ग) इस नियमावली के अधीन कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक ;

(घ) इस नियमावली के अधीन कक्षा 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु नियुक्त विद्यालय अध्यापक ;

(xviii) **"विशेष विद्यालय अध्यापक" से अभिप्रेत है** – माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/

प्रारंभिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु इस नियमावली के अधीन नियुक्त विशेष विद्यालय अध्यापक;

(xix) **"प्रधानाध्यापक"** से अभिप्रेत है, बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021, बिहार शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) एवं बिहार राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय सेवाशर्त नियमावली 1983 (यथा संशोधित 2006) के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक /प्राचार्य अथवा बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्य विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक अथवा ''बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2021 (समय–समय पर यथा संशोधित)'' के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक ;

(xx) **"प्रधान शिक्षक"** से अभिप्रेत है, ''बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2021'' के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले प्रधान शिक्षक ;

(xxi) **"पूर्व से नियुक्त पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक"** से अभिप्रेत है, बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 के प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षक

(xxii) **"शिक्षकेतर कर्मी"** से अभिप्रेत है –

राज्य सरकार के विद्यालयों में कार्यरत कर्मी, जो शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं हों ;

(xxiii) **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत है, अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ;

(xxiv) **''राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्''** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को विनियमित करने वाली परिषद् ;

(xxv) **"पात्रता परीक्षा"** से अभिप्रेत है, बिहार सरकार एवं/अथवा केन्द्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा इस नियमावली के अन्तर्गत आच्छादित संवर्ग/ संवर्गों हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा ;

(xxvi) **"शिक्षक प्रशिक्षण"** से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम, 1993 के प्रवृत्त होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डी०एल०एड०/बी०एड०/बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की उपाधि या 03 वर्षीय एकीकृत बी0एड0–एम0एड0 की उपाधि या बी०ए०एड०/ बी०एससी०एड० की 04 वर्षीय डिग्री या 04 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०) या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि का स्नातक (बी0पी0एड0) अथवा इसके समतुल्य अथवा वैसे राज्य/ केन्द्रशासित प्रदेश जहाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी०एल०एड० /बी०एड०/ बी०पी०एड०/बी०ए०एड०/ बी०एससी०एड० की उपाधि। साथ ही, समय– समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण की अर्हता ;

**स्पष्टीकरणः– शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद के स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा।**

(xxvii) **"आयोग"** से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन संवर्ग/संवर्गों में नियुक्ति की अनुशंसा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई आयोग ;

3. <u>संवर्ग का गठन</u> :–

शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय, राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग–अलग संवर्ग होगा। यह संवर्ग जिला स्तर का होगा।

4. **विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जाऐंगे।**

5. **विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होंगी :–**

(i) भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।

(ii) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद् के अनुरूप अनुमान्य होगा।

(iii) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

परन्तु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

(iv) विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

(v) <u>आयु</u> :–

प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विहित की जाय। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विहित की जाय। इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत होने के पश्चात् नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी। जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा

नहीं ली गई है, उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट देय होगी।

*परंतु पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा।*

6. **आरक्षण** :–

(i) राज्य सरकार के अधीन सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।

परन्तु प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला अभ्यर्थी के लिए चिह्नित किया जायेगा।

(ii) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का संधारण समेकित रूप से जिला स्तर पर किया जायेगा। इसी प्रकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर का अलग–अलग संधारण जिला स्तर पर किया जायेगा।

(iii) विद्यालय अध्यापक का आरक्षण–समाशोधन से संबंधित कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(iv) इस नियमावली के प्रवृत होने के बाद प्रथम समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण बिन्दु 01 से रोस्टर प्रारंभ होगा।

7. **नियुक्ति की प्रक्रिया** :–

(i) शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आवश्यकतानुसार आयोग को भेजी जायेगी।

(ii) सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक–अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा।

(iii) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से किया जाएगा। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा।

(iv) परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा।

(v) उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा।

(vi) कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अन्तर्गत अधिकतम तीन बार परीक्षा में भाग ले सकेगा।

(vii) आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।

(viii) आयोग द्वारा की गई अनुशंसा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी, जब तक की यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत प्रशासी विभाग संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

8. पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियम–7 में अंकित नियुक्ति की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस संबंध में आवश्यकतानुसार प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा अलग से किया जा सकेगा।

9. <u>प्रमाण पत्रों की जाँच</u> :–

(i) नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वे नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथाआवश्यक जॉच करा लेंगे। परंतु कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है।

(ii) प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर करते हुए वेतनादि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एण्ड उड़िसा पब्लिक डिमान्ड रिकॉवरी एक्ट, 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

10. **परिवीक्षा अवधि** :–

(i) सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि के प्रभाव से दो वर्षों के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवामुक्त कर सकेगा।

(ii) परिवीक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि** :–

परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि की जांच होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

12. **वरीयता सूची** :–

(i) प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की विषयवार समेकित वरीयता सूची होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता सूची अलग–अलग होगी। आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी।

(ii) विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची ज़िला स्तर पर संधारित की जाएगी।

13. **स्थानान्तरण** :–

(i) विद्यालय अध्यापक का पद स्थानान्तरणीय होगा।

(ii) मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग एवं प्रशासी विभाग द्वारा स्थानान्तरण के निमित्त समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में स्थानान्तरण की कार्रवाई संबंधित संवर्गीय पद पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा किया जा सकेगा।

(iii) विद्यालय अध्यापक का अन्तर जिला स्थानान्तरण ऐच्छिक/प्रशासनिक/शैक्षणिक दृष्टिकोण से हो सकेगा। इसके लिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक, प्राथमिक शिक्षा होंगे। वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे। अन्तर जिला स्थानान्तरण के फलस्वरूप संबंधित स्थानान्तरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता स्थानान्तरित जिला में उनके

नियुक्ति वर्ष से संबंधित विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता से निम्न वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी।

14. **<u>अनुशासनिक कार्रवाई</u>** :– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक पर प्रभावी होगा।

15. **<u>सेवा संबंधी शर्तें</u>** :–

(i) विद्यालय अध्यापक के पद का वेतनादि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

(ii) विद्यालय अध्यापक के विभिन्न संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

(iii) अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगीं।

16. **<u>अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति</u>** :–

इस नियमावली के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में अलग से प्रावधान अधिसूचित किया जा सकेगा।

17. **<u>आचरण संहिता</u>** :–

(i) निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढ़ंग से पूर्ण करना/कराना।

(ii) समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रूटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना/कराना।

(iii) बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देना।

(iv) किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।

(v) सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल–विवाह एवं दहेज–प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना।

(vi) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के सफल संचालन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।

(vii) विद्यालय अध्यापक पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे।

18. **<u>शिकायत एवं अपील</u>** :–

इस नियमावली के अधीन नियुक्ति संबंधी शिकायत/अपील तथा इस नियमावली के अधीन कार्यरत विद्यालय अध्यापक की सेवाशर्त से जुड़े

मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को होगी।

19. **प्रकीर्ण** :–

(i) बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020, बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली 2012 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2020 के प्रावधान के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति इस नियमावली से शासित संवर्गों में उनकी नियुक्ति के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त इस नियमावली के अन्य प्रावधान के तहत कोई दावा नहीं कर सकेंगे।

(ii) उपर्युक्त उप–कंडिका (i) में वर्णित नियमावली के अन्तर्गत इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत, कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।

(iii) जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक एवं प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक, जिसे मरणशील संवर्ग पूर्व में घोषित किया जा चुका है, पर यह नियमावली प्रभावी नहीं माना जायेगा।

(iv) प्रशासी विभाग इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :–11 / नियमावली 01–02 / 2023 743 पटना, दिनांक 10/4/2023

**प्रतिलिपि**:–मुख्य सचिव, बिहार / सभी अपर मुख्य सचिव, बिहार / सभी प्रधान सचिव, बिहार / सभी सचिव, बिहार / महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग / सभी निदेशक, पंचायतीराज विभाग / माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, पंचायतीराज विभाग के आप्त सचिव / सभी जिला पदाधिकारी / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी उप विकास आयुक्त / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय) / सभी जिला पंचायतीराज पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित नियोजन इकाई के अध्यक्ष, सचिव एवं अन्य सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/4/2023

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–11 / नियमावली 01–02 / 2023 743 पटना, दिनांक 10/4/2023

**प्रतिलिपि**:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी 3000 (तीन हजार) प्रतियाँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार को उपलब्ध करायी जाए।

10/4/2023

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक–11 / नियमावली 01–02 / 2023 743 पटना, दिनांक 10/4/2023

**प्रतिलिपि**:–आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर उक्त नियमावली की प्रति अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/4/2023

अपर मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग।